



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 04.04.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

दिनांक 03.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.शुभम पुत्र जयकुमार निवासी ग्राम खेडी करमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1.मु0अ0सं0 181/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.मु0अ0सं0 79/2024 धारा 354/354घ/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.मु0अ0सं0 173/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

4.मु0अ0सं0 391/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

5.मु0अ0सं0 554/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

6.मु0अ0सं0 392/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

7.मु0अ0सं0 593/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.है0का0 राजू त्यागी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

3.है0का0 रिकू भाटी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामद:-

आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. चरण सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह निवासी ग्राम खानपुर कलां थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध 01 तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त:-

1. मु0अ0सं0 138/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. मु0अ0सं0 42/2019 धारा 392/395/412 भादवि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 196/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 139/2019 धारा 174ए भादवि थाना जीआरपी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री अनिल कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. है0का0 राजू त्यागी थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. है0का0 रिकू भाटी थाना झिंझाना जनपद शामली।



थाना कांधला पुलिस द्वारा 03 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान व अवैध हथियार बरामद:-

आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार आगामी लोक सभा चुनाव-2024 को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कांधला पुलिस द्वारा 03 चोरो को चोरी किये हुए सामान (डिनर सैट, कप का सेट, स्टील व प्लास्टिक के बर्तन आदि), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर व एक छुरा सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 03.04.2024 को वादी श्री सादिक पुत्र अकबर निवासी मौहल्ला मुस्तफाबाद थाना कांधला जनपद शामली ने अपने घर से किसी अज्ञात चोर द्वारा सामान चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कांधला पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.वासिद पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.शहजाद पुत्र अलीहसन निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.गुल्लू पुत्र दिलशाद निवासी मौहल्ला शेखजादगान थाना कांधला जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी किया हुआ सामान (डिनर सैट, कप का सेट, स्टील व प्लास्टिक के बर्तन आदि)।
- 2.अवैध 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर (वासिद से)।
- 3.एक अवैध छुरा (शहजाद से)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.है0का0 प्रताप शर्मा थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.है0का0 मोतीलाल थाना कांधला जनपद शामली।
- 4.है0का0 अंकुर चौधरी थाना कांधला जनपद शामली।



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 04 अलग-अलग मामलों में 03 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा व 11,500/-रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

1. वर्ष 2021 में अभियुक्त आमिर पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला गढ़ी तालाब थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 229/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 03.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 09 माह कारावास व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2023 में अभियुक्त शाहनवाज पुत्र खलील निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 377/2023 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 03.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 4/25 आयुध अधिनियम में 08 माह 10 दिवस कारावास व 2,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3. वर्ष 2023 में अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 410/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 03.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 379 भादवि में 07 माह कारावास व 2,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 411 भादवि में 07 माह कारावास व 1,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

4. वर्ष 2023 में अभियुक्त अभिषेक पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली के विरुद्ध थाना कैराना पर मु0अ0सं0 497/2023 धारा 414 भादवि पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 03.04.2024 को माननीय न्यायालय सीजेएम कैराना, शामली द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को धारा 414 भादवि में 07 माह कारावास व 3,500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

1. आमिर पुत्र राशिद निवासी मौहल्ला गढ़ी तालाब थाना कैराना जनपद शामली।
2. शाहनवाज पुत्र खलील निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. अभिषेक पुत्र सुभाष निवासी मौहल्ला आलकलां थाना कैराना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI